

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

30-01-2014

सैयद शाहरुख हसन रजवी उर्फ राजन रजवी, पिता—सैयद केशर हसन रजवी, सा०—बालकिशुनगंज, कबूतरीगली, थाना—आलमगंज, जिला—पटना द्वारा एक एन०पी०बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2008 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—09—1035/2008 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—30.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कपड़े के व्यवसायी हैं। उनका क्रिस्टल एकेडमी के नाम से कक्षा आठवाँ तक का विद्यालय चलता है। उनके साथ वर्ष 2006 में मारपीट की घटना जानलेवा तरीके से की गई थी, जिसके संदर्भ में आलमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—213/गो०, दिनांक—29.01.2014 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, आलमगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का क्रिस्टल एकेडमी के नाम से कक्षा आठवाँ तक का विद्यालय चलता है एवं उनका कपड़े का व्यवसाय भी है। आवेदक के साथ वर्ष 2006 में मारपीट की घटना जानलेवा तरीके से की गई थी, जिसके संदर्भ में आलमगंज थाना कांड सं०—213/06, दि०—20.07.2006 धारा—341/323/307/379/34 I.P.C. & Arms Act दर्ज किया गया। तदोपरान्त आवेदक द्वारा अपने जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का


सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक सैयद शाहरूख हसन रजवी उर्फ राजन रजवी, पिता-सैयद कैशर हसन रजवी, सा0-बालकिशुनगंज, कबूतरीगली, थाना-आलमगंज, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सैयद शाहरूख हसन रजवी को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभि.प्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।